संख्या-190/2018/776/26-3-2018-10(12)/2015

प्रेषक,

सतीश कुमार
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 31 अगस्त 2018

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सातोमहुआ, सारनाथ वाराणसी के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन के सापेक्ष अवशेष धनराशि जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1658-59/स0क0/आ0प0वि0-प्रकोष्ठ(96)/ए0टी0एस0-सातोमहुआ वारणसी/2017-18 दिनांक-08.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सातोमहुआ, सारनाथ, वारणसी के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृत धनराशि रू0-769.32 लाख के सापेक्ष आवश्यक प्राविधानों को सम्मिलित करते हुये महाप्रबन्धक, यू0पी0सिडकों के पत्र दिनांक-15.02.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित विस्तृत आगणन (वर्क डन एवं वर्क टू0बी0डन) की लागत रू0-1036.13 लाख का प्रस्ताव शासन कोउपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-145/2015/2779/ 26-3-2015-10(12)/2015, दिनांक-10.12.2015 पत्र संख्या-177/2017/3162/ 26-3-2017- 10(12)/2015, दिनांक-20.11.2017 एवं पत्र संख्या-145/2018/1564/26-3-2018-10(12)/2015, दिनांक-04.06.2018 द्वारा क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में धनराशि रू0-307.72, 307.72 लाख एवं 115.398 लाख (कुल रू0-730.838) की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- उक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, सातोमहुआ, सारनाथ, वाराणसी के निर्माण हेतु पुनरीक्षित लागत रू0-1036.13 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2018-बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक-30.03.2018 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के पत्र संख्या-बी0-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक-26.08.2014, पत्र संख्या-12/2018/बी-2-856/दस-2018-10/77, दिनांक-15.06.2018 एवं पत्र संख्या-14/2018/बी-2-898/दस-2018-10/77, दिनांक-23.07.2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार जनपद-वाराणसी के सातोमहुआ सारनाथ में निर्माणाधीन जयप्रकाश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नारायण सर्वोदय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित धनराशि रू0-1036.13 लाख के सापेक्ष 5 प्रतिशत धनराशि रू0-51.8065 लाख रोक कर अब तक जारी धनराशि रू0-730.838 लाख को घटाते हुये अवशेष धनराशि रू0-243.4855 लाख (रू0 दो करोड़ तिरालिस लाख अडतालिस हजार पांच सौ पचास मात्र) जारी किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)-उक्त स्वीकृत धनराशि निदेशक समाज कल्याण उ0प्र0 कार्यदायी संस्था के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) करने के बाद ही आहरित करके कार्यदायी संस्था यू0पी0 स्टेट कांन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि परियोजना की लागत में कास्ट ओवर रन की स्थिति पैदा न हो और निर्धारित समय के अनुसार कार्य पूर्ण कराया जा सके। धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2)-उक्त धनराशि का आहरण वास्तविक उपयोगितानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति का विवरण यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)-प्रथम किश्त के 75 प्रतिशत उपयोग होने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्माण कार्य की द्वितीय किश्त 40 प्रतिशत तथा प्रथम और द्वितीय किश्त सम्मिलिति राशि के 75 प्रतिशत का उपयोग होने पर तीसरी किश्त के रूप में 15 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने पर विचार किया जायेगा। निर्माण कार्य की दूसरी एवं तीसरी किश्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति तथा अपेक्षित गुणवत्ताए यथास्थितिए नियंत्रक अधिकारीए विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किये जाने के बाद जारी की जायेगी। बकाया 5 प्रतिशत राशि निर्माण कार्य के पूर्ण होनेए उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने तथा तत्संबंधी सम्परीक्षित विस्तृत लेखा जोखा कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के बाद ही अवमुक्त की जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(4)-उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करा लिया जाये। प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्त प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरणध्सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(5)-उक्त प्रायोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजनाध्कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजनाध्कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)-उक्त प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया हैए जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

इत्यादिए व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/डªइंग बनाते समय प्रयोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती हैं तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(7)-निर्माण कार्य हुते कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की वित्तीय स्वीकृति में इस आशय का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो.दो माह की आवश्यकता के लिये आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जाय तथा कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जायेगी।

(8)-कार्यदायी संस्थाओं द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया हैए तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक-30 मार्च 2018, में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहें है।

भवदीय,
सतीश कुमार
अनु सचिव

पृ0सं0-190/2018/776(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0लखनऊ।
4-जिलाधिकारी, वाराणसी।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, वाराणसी।
6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0शासन।
7-वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0शासन।
8-प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेन्ट कारपोरेशन लि0, उ0प्र0लखनऊ।
9-निदेशक, एन0आई0सी0।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से
सतीश कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in